

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 9-02/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 10/6/2015

प्रति,

1. शासन के समस्त विभाग
2. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर
3. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर/ग्वालियर/इंदौर मध्यप्रदेश
5. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश ।


विषय: चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, माणिक बाग रोड, इंदौर को शासकीय सेवक तथा उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के जांच/उपचार हेतु शासकीय मान्यता में वृद्धि ।

...00....

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 28.10.2014 एवं आदेश दिनांक 16.02.2015 द्वारा चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर को उनके अनुरोध पर एनएबीएच की अधिमान्यता हेतु आवेदन किए जाने के लिए दिनांक 31.03.2015 तक अतिरिक्त समय दिया गया था जिसके अनुक्रम में उक्त चिकित्सालय द्वारा एनएबीएच स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता हेतु दिनांक 30.03.2015 को आवेदन प्रस्तुत किया ।

समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 28.10.2014 एवं आदेश दिनांक 16.02.2015 के अनुसार आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन मान्यता को निरंतर माना जावे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा, आदेशानुसार,


(डॉ. गनी अहमद खान)
अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

O/c

पृ.क्रमांक एफ 9-02/2014/सत्रह/मेडि-3

भोपाल, दिनांक 10 / 6/2015

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (आडिट)-1 /2 म.प्र.ग्वालियर की और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 30.09.02 के संदर्भ में अग्रेषित।
2. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की ओर उनके जावक क्र. 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25.08.14 के संदर्भ में अग्रेषित।
3. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.। (कृपया वेबसाईट पर अपलोड करावें)
4. संचालक, चिकित्सा सेवाएँ/लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
6. संयुक्त संचालक, (एम.आर.) संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. भोपाल।
7. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र.।
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक म.प्र.।
10. लेखा शाखा, मंत्रालय, भोपाल।
11. संचालक, चौईथराम हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Ole

[Signature]

अवर सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

484

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 4- 39/2011/55-2

भोपाल, दिनांक 08/08/2015

प्रति,

- 1-- शासन के समस्त विभाग।
- 2-- समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।
- 3-- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर।
- 4-- समस्त सभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 5-- समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

विषय : शासकीय कर्मचारियों/ अधिकारियों को उपचार कराये जाने हेतु मेदान्ता द मेडिसिटी गुड़गाव हरियाणा को मान्यता देने बाबत।

=00=

राज्य शासन मेदान्ता द मेडिसिटी गुड़गाव हरियाणा को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा पारिचर्या) विधम, 1958 के नियम (ब) के अंतर्गत निम्न शर्तों के अधीन मध्यप्रदेश शासन के अधिकारियों/ कर्मचारियों तथा उनके परिवार को हृदय रोग (एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी) एण्ड आदर कार्डियोलाजीकल इन्टरनेशन एण्ड कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, एवं मल्टीडिसीप्लीनरी क्रिटिकल केयर के उपचार हेतु राज्य शासन द्वारा राज्य के अन्दर मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा निर्धारित दरों पर मान्यता प्रदान करता है :-

- (1) जिस शासकीय सेवक या उसके परिवार के सदस्यों को वर्तमान नियमों के अंतर्गत निदान उपचार के लिये पात्रता है, उस शासकीय सेवक की पदस्थापना के निकटतम शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में संबंधित विभाग के कंसल्टेंट को दिखाना होगा। कंसल्टेंट द्वारा राज्य से बाहर निदान/ उपचार के नितांत आवश्यकता के प्रमाण-पत्र की जाँच एक समिति करेगी। जिसमें चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता तथा मेडिकल एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष रहेंगे।
- (2) जि.जा. मुख्यालयों पर उक्त प्रमाण-पत्र की जाँच सिविल सर्जन राह मुख्य अस्पताल अधीक्षक तथा रोगों से संबंधित विशेषज्ञ करेगे।
- (3) उपचार हेतु जाने के पूर्व नियमानुसार संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- (4) उक्त चिकित्सालय में उपचार व परीक्षण करवाने पर चिकित्सा पूर्तिपूर्ति का निर्धारित दरों पर अथवा वार्षिक व्यय उसमें से जो भी कम हो, की अधिकारी/ कर्मचारी या उसके परिवार का आश्रित, मंहगी चिकित्सा उक्त चिकित्सालय में कराता है तो शेष शशि का भार, वह स्वयं वहन करेगा।
- (5) ऐसे रोग जिनके उपचार के लिये उपरोक्त हॉस्पिटल में सुविधायें उपलब्ध है एवं मध्यप्रदेश में सुविधायें उपलब्ध नहीं है, उनके लिये संचालक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा उपरोक्त चिकित्सालय में उपचार के लिये अनुशंसा की जावेगी।
- (6) चिकित्सालय में शासन द्वारा जारी निर्धारित दरों की रेट लिस्ट चिकित्सालय में लगाई जाना आवश्यक होगा।
- (7) शासकीय सेवक एवं उन पर आश्रित परिवार के सदस्यों से रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा।

निरंतर.....2/-

5
15

- (8) चिकित्सालय द्वारा राज्य शासन द्वारा निर्धारित दरों पर ही रोगी का इलाज किया जायेगा।
- (9) संचालक, चिकित्सा शिक्षा या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी समय-समय पर जाँच कराने के लिये समस्त सुविधायें उपयुक्त स्तर का है, संस्थान की जाँच कर सकेंगे।
- (10) चिकित्सालय द्वारा संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में पूर्ण जानकारी रखी जायेगी तथा प्रतिमाह 7 तारीख को संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल को भेजी जायेगी।
- (11) शासन निर्धारित जाँच/ इलाज की दरों की समीक्षा/ पुनरीक्षित करने का अधिकार राज्य शासन को ही होगा।
- (12) यह स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष अथवा नर्सिंग होम की परीयन तिथि की वैधता जो भी पहले समाप्त हो के लिए प्रदान की जाती है।

2/- यह स्वीकृति वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 1496/1097/2014/नियम/चार, दिनांक 25/08/2014 के अनुसार जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(संजीव श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक 08/06/2015

पृ.क्रमांक एफ-4-39/2011/55-2

प्रतिलिपि :-

1. मन्त्रालय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. उपर मुख्य, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. उपर, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. संचालक, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/जबलपुर/इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
6. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/सागर/ग्वालियर/ जबलपुर/ इन्दौर एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
7. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश, भोपाल।
8. श्री अभिजीत कुमार, जनरल मैनेजर, मार्केटिंग मेदान्ता द मेडिसिटी अस्पताल, सेक्टर-38, गुडगांव-122001 (हरियाणा)

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।

DD(MR)
DD(SIAP)
DD(SIAP.F.)
10/6

(संजीव श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
मध्यप्रदेश

कमांक /एम.आर./2014/2843

भोपाल,दिनांक 7 /11/2014

प्रति,

समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।


विषय:—शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि उपरांत प्रदेश के मान्यता प्राप्त अस्पतालों के संबंध में।

—00—

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि उपरांत प्रदेश के मान्यता प्राप्त प्रदेश के चिन्हित अस्पतालों की सूची संलग्न भेजी जा रही है।

समय—समय पर अस्पतालो की मान्यता में परिवर्तन होने पर इसकी जानकारी विभाग की वेब साईड www.mp.gov.in/health से प्राप्त कर सकते है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार



संचालक(एम.आर.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र.

पृ.क. /एम.आर./2014/

भोपाल,दिनांक /11/2014

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र.।
3. समस्त संभागीय आयुक्त (राजस्व) म.प्र.।
4. समस्त संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, मध्यप्रदेश।
5. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र.।


संचालक(एम.आर.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ,म.प्र.

राज्य के अंदर निजी चिकित्सालयों/संस्थाओं को शासकीय सेवक एवं उनके आश्रित सदस्यों के उपचार/जांच हेतु नवीन मान्यता/मान्यता वृद्धि दी गई संस्थाओं की सूची

नवीन मान्यता :-

क्रमांक	संस्था का नाम	शर्त	मान्यता दिए जाने की अवधि
1.	भोपाल फ़ेक्चर हास्पिटल, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
2.	एल.बी.एस. अस्पताल, मोतिया तालाब, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
3.	मेट्रो हास्पिटल एण्ड कैंसर रिसर्च सेंटर, दमोह नाका, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
4.	अनंत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, राइट टाउन, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
5.	बांबे हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
6.	सीएचएल हास्पिटल, ए.बी.रोड़, एल.आई.जी. चौराहा, इंदौर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
7.	नोबल मल्टीस्पेशलिटी हास्पिटल, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
8.	ग्रेटर कैलाश हास्पिटल, 11/2 ओल्ड पलासिया, इंदौर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
9.	दुबे सर्जिकल एण्ड डेंटल हास्पिटल, घमापुर चौक, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Ganesh Kumar)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.

Mantralaya, Bhopal

		1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
10.	संजीवन अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, 628 राम नगर, आधारताल, जबलपुर एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
11.	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
	बंसल हास्पिटल, शाहपुरा, भोपाल एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
12.	नर्मदा अपना होशंगाबाद एफ 9-3/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

मान्यता वृद्धि :-

क्रमांक	संस्था का नाम	मान्यता दिए जाने की शर्त	मान्यता दिए जाने की अवधि
1.	मोहनलाल हरगोविंद दास पब्लिक चेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल, भोपाल 440/1 राइट टाउन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक


(Dr. Gani Ahmed Khan)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.
Mandla, Bhopal

		जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
2.	सेवा सदन नेत्र चिकित्सालय, बैरागढ़ सिविल अस्पताल के पीछे, बैरागढ़ भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 04-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
3.	एमआरआई डायग्नोस्टिक सेंटर, 2243 राईट टाउन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 17-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
4.	पाण्डे हास्पिटल प्रा. लि. 499 ब्योहार बाग, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
5.	सिटी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, नागरथ चौक, सिविल लाईन, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
6.	रेडक्रास हास्पिटल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, शिवाजी नगर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 22-02-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
7.	स्वामी विवेकानंद रीजनल स्पाइन सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 02-08-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक


(Dr. Gan Ahmed Khan)

Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.
Mantralaya, Bhopal

		दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	
8.	चिरायु मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-01-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
9.	पाढर हास्पिटल, बैतूल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
10.	बी.आई.एम.आर. हास्पिटल, ग्वालियर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 25-10-2011 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
11.	नवोदय हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 14-01-2011 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
12.	कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, ग्वालियर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 05-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एनट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
13.	जबलपुर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, रसल क्रॉसिंग, जबलपुर. एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3,	पूर्व में दिनांक 29-07-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3

(Dr. Gan Ahmad Khan)


Under Secretary,

Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.,

Mantralaya, Bhopal

	दिनांक 28-10-2014	पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	वर्ष तक
14.	एल.बी.एस. अस्पताल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
15.	गोकुलदास अस्पताल, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 30-11-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
16.	सीएचएल हास्पिटल, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 26-11-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
17.	सिनर्जी हास्पिटल, स्कीम नं.74, सेक्टर बी, विजयनगर, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 22-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
18.	मेयो हास्पिटल, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 10-02-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक


(Dr. Gani Ahmed Khan)
Under Secretary,

Govt. of M.P.
Public Health & Family Welfare Deptt.
Manirajya, Bhopal

19.	भंडारी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 20-10-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
20.	सेठ मन्मूलाल जगन्नाथ दास ट्रस्ट रिसर्च सेंटर, दीक्षितपुरा, जबलपुर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 30-07-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
21.	चोईथराम हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, माणिकबाग रोड, इंदौर एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
22.	नर्मदा ट्रामा सेंटर, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 31-03-2014 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. की स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2016 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक
23.	सीमांस कोहेफिजा हास्पिटल, बीडीए कालोनी, कोहेफिजा, भोपाल एफ 9-2/14/सत्रह/मेडि-3, दिनांक 28-10-2014	पूर्व में दिनांक 12-09-2013 तक मान्यता दी गई थी जिसे आज दिनांक तक नियमित करते हुए नवीन मान्यता वृद्धि देने का निर्णय इस शर्त पर लिया गया है कि उन्हें दिनांक 31 दिसंबर 2014 तक एन.ए.बी.एच. की अधिमान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा एवं दिनांक 31 दिसंबर 2015 तक एन.ए.बी.एच. का स्टेज वन/एन्ट्री लेवल की अधिमान्यता अनिवार्य रूप से प्राप्त करनी होगी अन्यथा इनकी मान्यता 1 जनवरी 2015 से स्वतः समाप्त मानी जावेगी ।	आदेश जारी होने के दिनांक से आगामी 3 वर्ष तक

(Dr. Ganj Ahmad Khan)

Under Secretary,


Govt. of M.P.

Public Health & Family Welfare Deptt.
Mantralaya, Bhopal

राज्य के अंदर मान्यता प्राप्त चिकित्सालय की अपडेट सूची (2015)

क्रं	चिकित्सालय का नाम	स्थान	शासन के मान्यता ज्ञाप क्रमांक मान्यता की अवधि	मान्यता की अवधि
1.	चिराय मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल भोपाल (हृदय रोग हेतु)	भोपाल	F 9-02/2014/17/मेडि.-3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
2.	चिराय मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल भोपाल (किडनी ट्रांसप्लान्ट एवं होमोडायलिसिस हेतु)	भोपाल	F 9-03/2014/17/मेडि.-3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
3.	जवाहर लाल नेहरू कैंसर हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर भोपाल (कैंसर रोग हेतु)	भोपाल	F 9-02/2014/17/मेडि.-3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
4.	कन्वीनियन्ट हॉस्पिटल (सी. एच.एल. हॉस्पिटल) इन्दौर (कैंसर रोग उपचार हेतु)	इन्दौर	F 9-03 /2014/17/मेडि. -3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
5.	बाम्बे हास्पिटल रिसर्च सेन्टर इंदौर (किडनी रोग एवं न्यूरोसर्जरी)	इन्दौर	F 9-03 /2014/17/मेडि. -3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
6.	सी.एच.एल. हास्पिटल इंदौर (हिप/नी रिप्लेसमेंट टोटल एल्बो ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, टोटल शोल्डर ज्वाइंट, आंशिक हिप रिप्लेसमेंट)	इंदौर	F 9-02 /2014/17/मेडि. -3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
7	बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर ग्वालियर (माननीय न्यायाधिपतियों एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों हेतु)	ग्वालियर	F 9-4/2010/ 17 / मेडि.-3 दिनांक 17/01/2010	आगामी आदेश तक प्रभावशील
8	मेट्रो हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर जबलपुर (कैंसर रोग हेतु)	जबलपुर	F 9-8/10/17/ मेडि0-3 दिनांक 3/03/2013	F 9-8/10/17/ मेडि0-3 दिनांक 5/02/2013 द्वारा

				दिनांक 3/03/2015 तक मान्यता वृद्धि
9	जामदार हॉस्पिटल प्रा.लि. गोल बाजार जबलपुर (हिप/नी रिप्लेसमेंट)	जबलपुर	एफ 9-4/2011/17/ मेडि.-3 दिनांक 16/10/2012	दिनांक 16/10/2015
10	नेशनल हास्पिटल जबलपुर (हिप/नी रिप्लेसमेंट)	जबलपुर	F 9-02/2014/17/ मेडि. -3 दिनांक 19/06/2014	19/06/2017 तक मान्यता इस शर्त पर 30 दिसंबर 2015 तक एन.बी.एच. से मान्यता प्राप्त कर लेगे।
11	एम.पी. बिरला हास्पिटल एण्ड प्रियम्बदा कैंसर रिसर्च इन्स्टीट्यूट सतना (कैंसर रोग हेतु)	सतना	F 9-02/10/17/ मेडि0-3 दिनांक 3/03/2013	F 9-2/10/17/ मेडि0-3 दिनांक 5/02/2013 द्वारा दिनांक 3/03/2015 तक मान्यता वृद्धि
12	सी.आर.गार्डी हास्पिटल सूरसा उज्जैन	उज्जैन	एफ 9-11/2010/17/ मेडि.- 3 दिनांक 15/02/2010 एवं दिनांक 15/02/2011	दिनांक 15/02/2015


 उपा. संचालक (एम.आर.)
 कृते/संचालक चिकित्सा सेवाएँ
 मध्य प्रदेश